



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S1387/09-06-002/2025-26

06 फरवरी, 2026

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित)
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

सामावेशी वित्त पर कार्यक्रम - व्यापार अवसर और नवाचार 16 से 18 मार्च, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे 16 से 18 मार्च, 2026 के दौरान सीएबी परिसर, पुणे में "सामावेशी वित्त पर कार्यक्रम - व्यापार अवसर और नवाचार" आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- जीविका संवर्धन के लिए व्यावसायिक अवसरों एवं नवाचारों तथा MSME, कृषि एवं सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में ऋण प्रदान को समझना
- सामावेशी वित्त के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना - इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा

3. स्थान और आवास

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 15 मार्च, 2026 की संध्या को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन पर प्रस्थान कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि, ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है।

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए अपने संगठन से कृषि, एमएसएमई तथा सूक्ष्म वित्त विभागों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **06 मार्च, 2026** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in


हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

गया है। कृपया ध्यान दें कि नामांकन First-Come-First-Served (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील - 9503779432 या श्रीमती साधवी भाटिया - 9834023900) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से nomination.ami@rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
कार्यक्रम तिथियां	16 से 18 मार्च, 2026
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06 मार्च, 2026
CAB में रिपोर्टिंग	15 मार्च, 2026, शाम को
कार्यक्रम का समय	सुबह 09:45 से शाम 05:30 बजे तक
कार्यक्रम का समापन	18 मार्च, 2026 को शाम 05.30 बजे

सादर



(नागार्जुन गौरीशंकर)

सहायक महाप्रबंधक

कार्यक्रम निदेशक

Contact: 020-25582328

Email ID- gnagarjun@rbi.org.in

Encl.: As above

Broad Course Content

Module I: Inclusive Finance: Overview

- Status & Trends
- Initiatives & Approaches

Module II: Business Opportunities & Innovations for Inclusive Finance

- Agricultural Finance – Recent Developments and Initiatives
- MSME Finance – Opportunities for Ecosystem-based Credit Expansion
- Livelihood Promotion – Role of Institutional Finance & Convergence Opportunities
- Micro Finance –Recent Developments and Guidelines
- Group Lending – Success Stories and New Initiatives

Module III: Leveraging Technology for Inclusive Finance

- Evolving Digital Public Infrastructure – Current Status & Use Cases
- Innovative Approaches to Inclusive Finance – Case Studies & Best Practices
- Digital Lending Guidelines

सामावेशी वित्त पर कार्यक्रम - व्यापार अवसर और नवाचार

16 से 18 मार्च, 2026

Fee Structure

Group		Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	Residential	₹ 17,600/-	₹ 3,168/-	₹ 20,768/-
	Non-residential	₹ 10,900/-	₹ 1,962/-	₹ 12,862/-
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, Local Area Banks, State Cooperative Banks and NBFCs	Residential	₹ 13,200/-	₹ 2,376/-	₹ 15,576/-
	Non-residential	₹ 8,200/-	₹ 1,476/-	₹ 9,676/-
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, Small Finance Banks, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	Residential	₹ 8,800/-	₹ 1,584/-	₹ 10,384/-
	Non-residential	₹ 5,500/-	₹ 990/-	₹ 6,490/-

Please use the programme code **AMI-16032026** in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकेब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।